Registration Successful

U-DISE Code: 09751101209

Registration ID: 40683

School Name: R K G INTERNATIONAL SCHOOL

User has been notified on registered email / mobile number.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।

पत्रांक/मान्यता/17427-430 /2018–19 दिनांकः– 07.02.19

प्रबन्धक,
आर0के0जी0इन्टरनेशनल स्कूल,
पिलखुवा, हापुड़।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं **आर0 के0 जी0 इन्टरनेशनल स्कूल, पिलखुवा, हापुड़** को कक्षा **नर्सरी** से 08 तक **(अग्रेजी माध्यम)** हेतु दिनांक **31.01.2019** से दिनांक **30.01.2022** तक तीन वर्षो की अवधि के लिये औपबन्धिक मान्यता का दिया जाना सम्प्रेषित करता हूँः–

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नही है और किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व के विवक्षित नही कर सकता।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के उपबन्धों का पालन करेंगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पडोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देंगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी यह सन्नियम का पालन किया जायेंगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि, अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेंगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेंगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेंगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नही करेंगा–
   (अ) बाल का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
   (ब) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उसमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेंगाः
   (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नही रोका रखा जायेंगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नही किया जायेंगा,
   (दो) किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नही बनाया जायेगा,
   (तीन)किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही है,
   (चार)प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेंगा,
   (पांच)अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
   (छः) अध्यापक निजि अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नही लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठचर्या के आधार पर पाठ्क्रम का अनुसरण करेंगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेंगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्रातप कक्षायें नही चलाई जायेंगी।
11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिये संचालित नही किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहियें और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकरी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ती को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लियें जारी किये जायें।
15. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हों को सुनिश्चित किया जायें।
16. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी कये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेंगा।
17. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य संज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय/प्रबन्धक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व मे ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

भवदीय

7/21

(देवेन्द्र गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़।

पृ0सं0/मान्यता/ /2018–19 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।
3. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि वे समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नही, यदि अनुपालन नही किया जा रहा है, तो तत्काल इस सम्बन्ध में आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व मे निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल) 10.10.25
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल) 10.10.25
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।